उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा

आर0 एम0 ए0 नं0 – 29/2018–19

सलील मंडल वगैरह

बनाम्

झारखण्ड राज्य

आदेश

दिनांक 13/2/20

अपीलकर्त्तागण की ओर से उनके विज्ञ अधिवक्ता एवं उत्तरवादी की ओर से विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्त्तमान अपीलवाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता सलील मंडल पे0 स्व0 डोमन मंडल वो शंभू मंडल पे0–स्व0 विलास मंडल सा0–पाण्डुबथान वो दुर्गा महतो पे0–स्व0 अनिरूद्ध महतो वो ललीता देवी वो प्रमीला देवी वो अनिता देवी पे0–स्व0 हराधन महतो वो गोविन्द महतो पे0–गंधु महतो वो नवीलाल महतो पे0 स्व0– भूवन महतो साकिनान कुमरडीह थाना–गोड्डा(नगर), जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्तागण ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0 2/18–19 में दिनांक–15.09.2018 को परित आदेश के विरूद्ध दायर किया है। उक्त आदेश के द्वारा भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0 38/1989–90 में दिनांक 25.04.1990 के द्वारा की गयी बंदोवस्ती को बंदोवस्तीदार का बंदोवस्ती जमीन पर दखल कब्जा एवं जोत आबाद नहीं रहने के कारण संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत रद्द किया गया है।

अपीलकर्त्तागण का कथन है कि अपीलकर्त्तागण को परती कदीम जमीन भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के बंदोवस्ती केश नं0 38/1989–90 आदेश दिनांक–24.05.1990 द्वारा प्राप्त हुआ है। कोर्ट अमीन के द्वारा बंदोवस्ती जमीन पर दिनांक–23.10.1991 के द्वारा दखल दिहानी दिलाया गया है। उक्त तिथि से अपीलकर्त्तागण उक्त भूमि पर दखलकार हुए एवं टीलानुमा जमीन को काटकर खेत का स्वरूप देकर खंडित किया गया एवं उस पर फसल उपजा कर अपना परिवार का भरण पोषण करने लगे। अपीलकर्त्तागण के नाम से अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा अपीलकर्त्तागण के नाम से जमाबंदी कायम करके पंजी–II में भी दर्ज किया गया एवं अपीलकर्त्तागण के द्वारा उसी के अनुसार सरकार को खजाना की राशि देकर मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे हैं। उक्त बंदोवस्ती के विरूद्ध किसुन वगैरह की ओर से विद्वान उपायुक्त गोड्डा के

न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0 53/92–93 वाद दायर किय गया था। विद्वान उपायुक्त गोड्डा ने दोनों पक्षों की सुनवाई एवं दाखिल कागजातों के पश्चात प्रविष्टि के बिन्दु पर अपीलवाद खारिज किया गया। उसके बाद किसुन महतो की ओर से माननीय आयुक्त, दुमका के न्यायालय में आर0एम0ए0 नं0 183/93–94 वाद दायर किया गया। उनलोगों का आगे कथन है कि अपीलकर्त्तागण का उक्त जमीन पर दखल एवं वैद्य कागजातों के रहते हुए भी भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा के बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0 2/18–19 के आदेश दिनांक–15.09.2018 के द्वारा नियम विरूद्ध आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्तागण के साथ की गयी बंदोवस्ती को रद्द किया गया। अपीलकर्त्तागण ने भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के उक्त आदेश को निरस्त करने के लिए अनुरोध किया है।

अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन के आलोक में निम्न न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा के अभिलेख बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0 2/2018–19 की मांग की गयी एवं अंचल अधिकारी गोड्डा से भी जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। निम्न न्यायालय से अभिलेख प्राप्त हुआ है एवं अंचल अधिकारी, गोड्डा ने भी अपने पत्रांक–1222/रा0 दिनांक–02.08.19 से जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया। अंचल अधिकारी, गोड्डा के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि बंदोवस्ती की तिथि से आज तक बंदोवस्तकारी के द्वारा बंदोवस्ती भूमि पर जोत आबाद नहीं रहने के कारण बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0 02/2018–19 के आदेश दिनांक–15.05.2019 को भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा द्वारा संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत उक्त बंदोवस्ती को रद्द किया गया है। बंदोवस्ती रद्द के उपरांत उक्त दाग नं0 के अंदर रकवा 00–10 एकड़ भूमि पर डी0पी0आर0सी0 तथा रकवा 00–60 एकड़ जमीन पर जे0एस0बी0ए0वाई फेज–II(पकैज–7) परियोजना के अन्तर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र निर्माण एवं 00–10 एकड़ भूमि पर रिमांड होम निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

प्रक्रिया के दौरान ही अपीलकर्त्ता की ओर से माननीय उच्च न्यायालय राँची में डब्लु0पी0(सी0) नं0 3118/19 दायर किया गया। माननीय उच्च न्यायालय के उक्त वाद में आदेश दिनांक–04.12.2019 की प्रति प्राप्त हुआ। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से भी स्थल जाँच प्रतिवेदन की मांग की गयी। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के पत्रांक–48/रे0भु0 दिनांक–11.2.2020 से स्थल जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। प्रतिवेदित किया है कि गोड्डा सदर अंचल के अन्तर्गत मौजा कुमरडीह थाना नं0 522 के गैर मजरूआ खाता नं0 30 दाग

नं0–184 के अन्तर्गत भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के बंदोवस्ती वाद संख्या 38/89–90 आदेश दिनांक–25.04.1990 से निम्नलिखित व्यक्तियों के साथ बंदोवस्ती की गयी थी :–

क्र0	बंदोवस्तदार का नाम	मौजा	दाग नंबर	रकवा
1	2	3	4	5
1	सलील मंडल	कुमरडीह	184	00-16-06
2	हराधन महतो	कुमरडीह	184	00-15-14
3	गोविन्द महतो	कुमरडीह	184	00-15-13
4	अनिरूद्ध महतो	कुमरडीह	184	00-15-13
5	नवीलाल महतो	कुमरडीह	184	00-13-00
6	शंभु मंडल	कुमरडीह	184	00-04-00

(5)

अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा का आगे प्रतिवेदन है कि उक्त बंदोवस्ती जमीन पर बंदोवस्तदार का दखल कब्जा नहीं रहने के कारण संथाल परगना काश्ताकरी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत अंचल अधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा के बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0 2/2018–19 के आदेश दिनांक–15.09.2018 के द्वारा बंदोवस्ती को रद्द किया गया है। बंदोवस्ती रद्द के उपरांत उक्त दाग के अंदर रकवा 00–10 एकड़ भूमि पर डी0जी0आर0सी तथा रकवा 00–60 एकड़ भूमि पर जे0सी0बी0ए0वाई0 फेज–II (पेकैज–7) परियोजना के अन्तर्गत 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र निर्माण एवं रकवा 00–10 एकड़ भूमि पर रिमांड होम निर्माण हेतु प्रस्तावित है। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया है कि दिनांक–07.02.2020 को अंचल अधिकारी, गोड्डा के साथ स्वयं स्थल का संयुक्त रूप से जाँच किया एवं पाया गया कि स्थल पर बंदोवस्ती की तिथि से आज तक बंदोवस्तदार द्वारा बंदोवस्त जमीन का जोत आबाद एवं उस पर कृषि कार्य नहीं किया है। स्थल जाँच प्रतिवेदन के साथ स्थल का फोटोग्राफी भी संलग्न किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा ने बंदोवस्ती केन्सीलेशन केश नं0–2/2018–19 के आदेश दिनांक–15.09.2018 द्वारा बंदोवस्तदार का बंदोवस्त जमीन पर दखल कब्जा नहीं रहने के कारण संथाल पगरना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत बंदोवस्ती को रद्द किया गया है। अंचल अधिकारी, गोड्डा से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है कि बंदोवस्तदार के द्वारा बंदोवस्त जमीन बंदोवस्ती की तिथि से

आज तक जोत आबाद नहीं किया गया है और न तो कृर्षि कार्य के लिए खंडित किया गया है। उस भूमि पर अपीलकर्त्तागण का किसी तरह से दखल नहीं पाया गया है। इससे यह भी स्पष्ट होता है कि उक्त जमीन परती है। ऐसी स्थिति में भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता गोड्डा का आदेश संथाल परगना काश्तकारी(पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 33 के अनुकूल प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, गोड्डा के आदेश का समर्थन करते हुए अपीलकर्त्तागण के अपील आवेदन को खारिज किया जाता है।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

13/2/2020

उपायुक्त,
गोड्डा।

13/2/2020

उपायुक्त,
गोड्डा।

14.2.20

DV No :- 3
11/06/202

Digitally signed by Zeeshan Qamer
Date: 2022.11.21 16:53:13 +05:30
Location: 172.17.208.1